


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) मध्य प्रदेश



Rs 30/-

- 1- जानकी प्रसाद साहू तनय स्व० औसेरी साहू
2- अंजनी प्रसाद साहू तनय स्व० औसेरी साहू

R 5335-II/16

दोनो निवासी ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र) - निगरानीकर्तागण
बनाम

- 1- शिवटहल तनय स्व० शोभनाथ साहू
2- रामटहल तनय स्व० शोभनाथ साहू
3- रामचरण तरय स्व० शोभनाथ साहू
4- शिवचरण तरय स्व० वंशरूप साहू
5- राशिरमरण तनय स्व० वंशरूप साहू

सभी निवासी ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०)- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक
मण्डल मनिक्वार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
(म०प्र०) के सीमांकन प्रक० क्र०- 60/अ-12/2015-16
मे पारित आदेश दिनांक 23-05-2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई०

अधिवक्ता श्री सी.बी.
शर्मा, रायपुर
22-7-16

मार्केट आफ कोर्ट
मान्यवर
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्कट कोर्ट) रीवा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि निगरानीकर्तागण आपस मे सगे भाई है जो ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के पुस्तैनी निवासी है। गैर-निगरानीकर्तागणो ने अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि ख०क्र०-694 रकबा 0.317हे० एवं 696 रकबा 0.089हे० स्थित ग्राम देवरा फरेदा, तहसील रायपुर कर्चु० के सम्बन्ध मे सीमाकान का आवेदन निगरानीकर्तागणों की गैर-जानकारी मे राजस्व निरीक्षक महोदय मनिक्वार के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त भूमियों के उत्तर तरफ लगी हुई निगरानीकर्तागण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि ख०क्र०- 509 रकबा 0.304 हे० स्थित है इस तरह निगरानीकर्तागण सरहदी कास्तकार है किन्तु हल्का पटवारी द्वारा गैर-निगरानीकर्तागणों से मिल-मिलाकर बिना निगरानीकर्तागणों को सूचना दिये या वक्त सीमाकन उपस्थित ना होने के बावजूद म०प्र०भू०रा०सं० मे सीमाकन सम्बन्धी विहित प्रावधानों का उलंघन करते हुये प्रार्थी/निगरानीकर्तागणों की भूमि के दक्षिणी सीमा के स्थित पुराने सीमाचिन्ह को उखाड़कर फर्जी

जानकी प्रसाद साहू

अंजनी प्रसाद साहू

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) मध्य प्रदेश


82

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R-5335-टो/16..... जिला रीवा

जानकी प्रसाद साह व भय विरुद्ध शिवहर साह वर्मा

	2	3
<p>18-12-18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>सी. बी. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>मानिकवाट</u> तहसील <u>रायपुर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>60/अ.12/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23-5-2016</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>7-3-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p> सदस्य</p>